सं0रा0–3/न्याय–04/2022
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार,
सरकार के विशेष सचिव ।

न्यायालीय मामला
ई–मेल

सेवा मे,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनाक

विषय– **डा0 (श्रीमती) सुनीति कुमारी, सेवानिवृत उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा, नालंदा** को **277 (दो सौ सतहत्तर)** दिनो के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि की स्वीकृति के सबध मे।

महाशय,

वित्त विभागीय परिपत्र सख्या 8889 (2) वि0 दिनाक 24.12.1986, पत्रांक 1829 वि0 (2) दिनाक 07.04. 2005 एव **प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना** के पत्राक **106(25) दिनांक 10.01.2025** के आलोक मे **डा0 (श्रीमती) सुनीति कुमारी, सेवानिवृत उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा, नालंदा** को **277 (दो सौ सतहत्तर)** दिनो के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि की स्वीकृति दी जाती है ।

2 उक्त स्वीकृति इस शर्त्त के साथ प्रदान की जाती है कि यदि कभी भी वित्तीय अनियमितता/वसूलनीय राशि का मामला प्रकाश मे आता है तो उसकी नियमानुकूल वसूली **डा0 (श्रीमती) सुनीति कुमारी** से की जाएगी ।

3 **डा0 (श्रीमती) कुमारी** की सेवा निवृति की तिथि **31.07.2010** है ।

4 **डा0 (श्रीमती) कुमारी** का दिनाक **02.05.2002** से **24.08.2007** तक अनुपस्थित रहने के आरोप मे विभागीय अधिसूचना स0 637(9) दिनाक 20.07.2009 द्वारा निलबित किया गया है । तत्पश्चात् विभागीय अधिसूचना स0 892(9) दिनाक 10.08.2010 द्वारा निलम्बन मुक्त करते हुए पूर्व के पदस्थापित स्थान पर योगदान करने के साथ निन्दन एव दो वेतन वृद्धि पर सचयात्मक प्रभाव से रोक की शास्ति अधिरोपित की गई, परन्तु **डा0 (श्रीमती) कुमारी** दिनाक 31.07.2010 को ही सेवा निवृत होने के कारण उक्त अधिरोपित शास्ति प्रभावी नही हो सकी । मामले की पुन समीक्षा की जा रही है । निर्णयोपरान्त अवगत करा दिया जाएगा । साथ ही यह भी सूचित करना है कि **डा0 (श्रीमती) कुमारी** का उक्त अनुपस्थित अवधि को उपार्जित अवकाश के रूप मे स्वीकृत नही किया जाएगा ।

5 अनुरोध है कि प्राधिकार पत्र **उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा, नालंदा** के नाम से निर्गत करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(शैलेश कुमार)

ज्ञापाक 161(3) /स्वा0, पटना, दिनाक 24/3/25

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले0 एव ह0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालंदा/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, **नालंदा/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पाताल, हिलसा, नालंदा** को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः जिला कोषागार पदाधिकारी, **नालंदा** को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः डा0 (श्रीमती) सुनीति कुमारी, सेवानिवृत उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा, नालंदा, पत्राचार का पता–फ्लैट नं0–4डी, वृन्दाबन अपार्टमेंट, हरिहर सिंह रोड, मोराबाड़ी, राँची, झारखंड, पिन–834008, मो0सं0–9934160122 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2,7,8,9 एव 10 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

24/3/25
सरकार के विशेष सचिव

D:\Old System backup\Old System Data\New folder\2025\GPF&Penson-02.01.2025.docx-29012025-30012025-11022025-24032025